

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है। और डी.डब्लू.एस.एम. को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा से मंजूरी ली जानी है। आई०एस०ए० द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।

1. वी.डब्लू.एस.सी. की तैयारी की तारीख

ग्राम सभा में मंजूरी की तारीख

डी.डब्लू.एस.एम. को प्रस्तुत किये जाने की तारीख

2. ग्राम का नाम

ग्राम पंचायत का नाम

व्लाक का नाम

जिला का नाम

राज्य का नाम

२८-०२-२३

२८-०२-२३

२०।०३।२३

विश्वनिर्मला

विश्वनिर्मला

भाद्रपुरा

बरेली

उत्तर पंदेश

ग्राम जनगणना कोड

१३०४३४

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

i. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ०५ (संख्या) मदेशी कुड़ों को और ०८ (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के रथानों को जलापूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ०८ घन्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले ५५ एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष २०२५ तक १८० ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना।

हर ग्राम समुदाय के लोग अपने अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्य, प्रबन्धन प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हे सदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचायेंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का १०% प्रतिशत प्रचालर और रख-रखाव लागत के परिणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबन्धन में योगदान किया जायेगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्लू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

ii. ग्राम पंचायत और/या इसकी उपसमिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण।

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी ?

(ग्राम पंचायत और/सर इसकी उप-समिति)

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम:-

लिंग:-

आयु:-

विसी २५ पुरा

इतांसं पैयजल २० चृद्धता मामीत

शिशुपाल

M

५४

5

iii. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी के अनुसार
जन संख्या 1214	वर्तमान जन संख्या 1359
परिवारों की संख्या 180	परिवारों की संख्या 210
महिलाओं की संख्या 59	महिलाओं की संख्या 55
पुरुषों की संख्या 512	पुरुषों की संख्या 652
बच्चों की संख्या 133	बच्चों की संख्या 159
एफ.एच.टी.सी. की संख्या	एफ.एच.टी.सी. की संख्या

(मोहर एवं हस्ताक्षर के साथ आंगनवाड़ी से सत्यापित कराये) आंगनवाड़ी का नामहस्ताक्षर

7. जन संख्या अनुमानः

मध्यवर्ती चरण-

वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18 की वृद्धि) ८०८१ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32 वृद्धि) ८०१४ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकार्ड) १००
9. कृषि फसल पैटर्न ११०, १०५, १०६, १०७

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना		—
घान	—	—
मक्का		—
वपास		—
रोहू	—	—
अन्य	—	—

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी.) 1005 mm

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि) भूमतल

iv. स्थिति विश्लेषण

12. वया संसाधन मानचित्रण किया गया ? (हाँ/नहीं) — टिप्पणी —

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. वया सामाजिक मानचित्रण किया गया ह? (हाँ/नहीं) — टिप्पणी —

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

क्रम. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है। हाँ/नहीं	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? हाँ/नहीं	सोख्ता गडडों की उपलब्धता। हाँ/नहीं	टिप्पणी
1.	स्कूल	No	No	Yes	
2.	आंगनवाड़ी	—	—	—	
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	—	—	—	
4.	ग्राम पंचायत भवन	—	—	—	
5.	अन्य	—	—	—	

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान अवश्यकता— जनसंख्या × दर 66.7 के.एल.डी.

मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता 19.8 के.एल.डी.

मधेशी कुड़ों की आवश्यक संख्या.....

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता-जनसंख्या × दर **८४.३१** के लिए.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता-जनसंख्या × दर **८४.१४** के लिए.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किरी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति
17. आपतकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेलगाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति
18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आंशिक कार्य स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीख **Feb 2023**
21. सैनेट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख **Sep 2023**
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रत्यावित पेयजल स्रोत (स्रोतां) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति)

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	सुराष्ट्रित
पी.एच.	पट्टी रंग तुलना	५
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	५
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	५
फ्लोराइड	टिट्रीमेट्रिक विधि	५
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	५
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	५
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	५
आयरन	दृश्य रंग तुलना	७
नाइट्रोट	दृश्य रंग तुलना	८
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	५
आर्सेनिक (हाटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	८

कपड़े धोने/स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए प्रयाप्त जगह न हो ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आवादी
—	—	—
—	—	—

—	—	—
—	—	—

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना हैं (हाँ/नहीं)
25. गांव में न मौजूदा जल भांडारों की सूची जिनका कायाकल्प/ मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है।

गंदले जल का प्रबन्धन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल अपूर्ति का 65 प्रतिशत) 57.18 के.एल.डी.

अलग-अलग सोखा गड्ढों वाले परिवारों की संख्या IV

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखा गड्ढों की आवश्यकता है: 100

आवश्यक सामुदायिक सोखा गड्ढों की संख्या 16

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है?: ✓

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबन्धन कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जायेंगे?

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्लू.पी. के तहत शुरू की गई योजनों रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्लू.एस. जो एकान्त/आदिवासी वस्तियों में स्थित है।

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: जल जीवन मिशन

तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तवित जल अपूर्ति योजना

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि 2014 भूमि 2010/2011

वह तारीख, जिसपर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्लू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी:

योजना की लागत.....—

भारत सरकार का हिस्सा.....—

राज्य का हिस्सा.....—

सामुदाय का हिस्सा.....10%

व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुक्रल/प्रयोक्ता शुल्क.....50/-

कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्लू.एस.....—

vi. निधि का स्रोत-

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि / निधी मेल-जोल संबंध है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित आयोग	ग्राम पर्यायत	ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट ड्रेनेज सिस्टम आदि	—
स्वच्छ भारत योजना-ग्रामीण (एस.बी.एम.जी.)	पेरजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मन्त्रालय	ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट, सोख्ता गड्ढे (व्यक्तिगत/सामुदायिक) अपशिष्ट तलछट तालाब आदि	—
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्रकृतिक संसाधन प्रबंध (एन.आर.एम.) घटक के तहीं सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ।	—
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर.डब्लू.एच./कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का निर्माण/युद्धि	—
जल भंडारों की मरम्मत नवीनीकरण और जीर्णद्वार	जल संसाधन, नदी विकास और गगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णद्वार	—
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.बी.आई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बद्धित कार्य	—
प्रधनमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	—
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	लीकरण वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि।	—
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय	आर.डब्लू.एस.योजना के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि।	—
समय शिक्षा	मनव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैयजल आपूर्ति का प्रावधान	—
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	—
जिला खनिज विकास निधी (डी.एम.एफ.)	राज्य	बैड़े-पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	—
एम.पी.एल.ए.डी.	राज्य	अंतः ग्राम अवसंरचना	—
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उपयोजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतः ग्राम अवसंरचना	—
दानदाता/प्रायोजक			—

- पम्प आपरेटर को नाम और फोन नंबर

क्रम सं	नाम	फोन नंबर
1		
2		

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

क्रम सं	नाम	पद	फोन नंबर
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पाँच महिलाओं के नाम और फोन नम्बर:

क्रम सं	नाम	फोन नंबर
1	पञ्जाबी	9258073189
2	धंजना	9760078852
3	पुजारी	9027367695
4	ग्रन्था देवी	7300937377
5	सीमा शर्मा	9627433770

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्था वी.डब्लू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर—

- पानी समिति के अध्यक्ष का नाम व फोन नंबर
- पंचायत सचिव का नाम व फोन नंबर

अध्यक्ष
पंचायत सचिव
प्रभाल भट्टाचार्य

प्रभाल भट्टाचार्य^{महिला}
आई.एस.ए. प्रतिनिधि

पी.एच.इ.डी./आर.डब्लू.एस. विभाग
के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत-दिसी रम्पुरा
हस्ताक्षर लिला-यरेती
अध्यक्ष (ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति)

जल जीवन मिशन “हर घर जल”

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (उप्र०)